

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी है
27-4-15	वकील उन्नयपश उपस्थित है। वकील प्रतिवादी जकाब दावा पेश करने को समर्थ चाहते हैं। अतः वास्ते जकाब दावा पत्रावली दि० 11-5-2015 को पेश हो।	
11-5-15	पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब दौरे पर/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि०.....29-6-15 को पेश हो। रीडर	
5-6-2015 वकील उन्नयपश रमेश चंद्र नि०/संघ 57/11/11 रामलाल रामलाल फाले इति	पत्रावली आज लोक अदालत गिरि विर सल्फेमपुर पर पेश हुई। वादी बने सिद्ध व हरी तथा प्रतिवादी 1 ता 5 उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस माशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी भूमि का सीमासमकरण लेंगे एवं सीमाज्ञान के अनुसार काकिज रहेंगे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जावे। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद का निर्णय किया जाता है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पंचादिकी जारी किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार देकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार गुर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. हरी पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र रतन लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. बनैसिंह पुत्र शिव लाल, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. फतेह सिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रामकरण पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. सरूपी बेबा रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. बृजलाल पुत्र हीरा गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. रामजीलाल पुत्र हीरा, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिए लैंड होल्डर तहसीलदार तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 114/2013

वादीगण की ओर से वादी हरी, बनैसिंह की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सरूपी, बृजलाल, रामकरण, रामजीलाल, फतेह सिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण अपनी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करा लेंगे एवं सीमाज्ञान के अनुसार काबिज रहेंगे। वादी दावा वापिस लेना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	